न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 13 / 2024

श्री ओम प्रकाश माली पुत्र श्री रामदेव माली निवासी ग्राम नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक
——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक
——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक **01.05.2024**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 23.09.2023 को प्रेषित/प्रस्तुत करने पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 602 दिनाक 06.10.2023 से लोक सूचना अधिकारी एव उपखण्ड अधिकारी टोंक को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

1 क्या OBC/SC/ST के वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक एवं 08 लाख से कम है, EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते है यदि हा तो इससे सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रमाणिक नियमावली प्रदान करे।

2 क्या OBC/SC/ST के वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक एवं 08 लाख से कम है, EWS सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते है, तो इससे सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रमाणिक नियमावली प्रदान करे।

3 यदि OBC/SC/ST के वे व्यक्ति जो वर्तमान में EWS सर्टिफिकेट का लाभ आय के आधार पर लेने के योग्य है तो क्या भविष्य में वापिस अपनी श्रेणी का लाभ ले सकते है — हा या नहीं

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नही होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोक को पत्र कमांक 353 दिनांक 21.03.2024, 382 दिनांक 04.04.2024 व 390 दिनांक 16.04.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एव उपखण्ड अधिकारी टोक ने पत्र कमाक 826 दिनांक 09.04.2024 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां के संबंध में उनके पत्र कमांक 556 दिनांक 26.02.2024 से सूचित किया जा

जिला कलेक्टर
टोंक

चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक